



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 1982/अग्रहायणा 30, 1984

No. 208]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 1982/AGRAHAYANA 30, 1984

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलन संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्व० सूचना सं०- 40 ई० टी० सी० (पी० एन) 82

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर 1982

विषय:- खुले सामान्य लाईसेंस 3 के अन्तर्गत संयुक्त राज्य
अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों
आस्ट्रिया, फिनलैंड को पोशाकों और सलाई से बुने
हुए वस्त्रों के 1-1-1983 से 31-12-1983 तक
निर्यात के लिए योजना।

जिसिल सं० 2/54/82-ई०—प्रस्तुत सार्वजनिक
सूचना, सार्वजनिक सूचना सं० ई० टी० सी० (पी० एन)/
82 दिनांक 18 दिसम्बर 1982 के क्रम में है और
तैयार पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों की कनिष्ठ
मदों के संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के
सदस्य राज्यों (जर्मनी गणतंत्र संघ, फ्रांस, इटली, बेनिक्स,
यू० के, आयरलैंड गणतंत्र, डेनमार्क और ग्रीस) आस्ट्रिया
कनाडा और फिनलैंड को। 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर
1983 तक को अवधि के लिए निर्यातों से संबंधित है।

2. योजना के नियंत्रण के लिए अभिकरण : जब तक
अन्यथा रूप से निदेश न दिए जाएं परिधान निर्यात संवर्धन
परिषद, नई दिल्ली निर्यात हकदारियों का नियन्त्रण करेगी
और इस योजना के अन्तर्गत आने वाली सभी पोशाकों और
सलाई से बुने हुए वस्त्रों का आवश्यक प्रमाणन करेगी किन्तु
मिलाई से बुने हुए ऊनो वस्त्रों की हकदारी का नियन्त्रण ऊन
और ऊनी सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली द्वारा
किया जाएगा। लेकिन, सलाई से बुने हुए ऊनो वस्त्रों
के मामले में आवश्यक प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन
परिषद द्वारा किया जाना रहेगा। इस योजना के अन्तर्गत
आने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूचियां परिधान
निर्यात संवर्धन परिषद और ऊन उद्योग ऊनी सामान निर्यात
संवर्धन परिषद के पास उपलब्ध हैं। सरकार को यह
प्रधिकार होगा कि वह योजना के नियंत्रण के लिए अभिकरणों
के संबंध में जैसा उचित समझे परिवर्तन करेगी।

3. खंडों के लिए आरक्षण : (i) पहले आए सो पहले
पाए के छोटे-छोटे आदेशों और केन्द्रीय राज्य निगम पद्धति-
यों के मामलों में, जहां कहीं आबंधन के लिए हथकरघा और
मिल निमित्त वस्त्रों को श्रेणियों को मिलाया जाता है तो

वहाँ इशकरधा और मिल निर्मित / बिजली के करघे में तैयार किए गए वस्त्रों का अनुपात 1 होगा। विदेशी मांगों और निर्यात हकदारियों के उपयोग को प्रवृत्ति पर निर्भर करने हुए सरकार को इस अनुपात में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ कहीं आवंटन के लिए मालाई में बुने हुए वस्त्रों को बुने हुए वस्त्रों के साथ मिलाया जाता है तो वहाँ उपलब्ध मालाई का 10 प्रतिशत मालाई में बुने हुए वस्त्रों के लिए आरक्षण रखा जाएगा।

(3) पहले आए मा पहले पाए के छोटे-छोटे आदेशों और केन्द्रीय / राज्य निगम पद्धतियों के मामले में अन्तिम तारीख को बच्चों की पोशाकों के लिए आरक्षण उस तारीख को सभी श्रेणियों में उपलब्ध मावा का 10 प्रतिशत होगा।

(4) ऊनी पाशाकों के मामले में आरक्षण विनिर्दिष्ट श्रेणियों में उपलब्ध मावा के अनुपात होगा। इसकी घोषणा वस्त्र आयुक्त द्वारा की जाएगी।

4 धीमी गति वाली मदें :- पहले से ही घोषित मार्गदर्शनों में आंशिक आशाधन करने पर धीमी गति वाली मदों के मामले में निम्नलिखित और मार्गदर्शन लागू रहेंगे।

(1) 100 प्रतिशत निर्यात शक्ति रखने वाले निर्यातकों को एक एक पहलू पर 100 प्रतिशत निर्यात शक्ति प्राप्त होगी। लघु आदेश की पद्धति के अधीन आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। चाहे वे 1 जुलाई 1982 को या इसके बाद परिधान निर्यात सर्वेक्षण परिषद के पास पंजीकृत किए गए हों।

(2) केन्द्रीय / राज्य निगमों और पहले आए मा पहले पाए के छोटे-छोटे आदेश की पद्धतियों के मामले में धीमी गति की मदों के लिए पोतलदान की अवधि सांख्यिक सूचना सं० 37-ई० टी० सी० (पी० एन)/ 82, दिनांक 18 सितम्बर 1982 की कड़िका 4(1) में निहित अवधि के अनुसार ही होगी।

(3) धीमी गति की मदों में बच्चों की पोशाकों के लिए अलग से न्यूनतम कीमत वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

5. निर्यात हकदारी के प्रमाणन की वैधता अवधि :- पहले आए मा पहले पाए के छोटे-छोटे आदेश की पद्धति के मामले में जहाँ वैधता अवधि 30 दिन की होगी उसे छोड़कर निर्यात हकदारी का प्रमाणन 21 दिनों के लिए वैध होगा।

6. पेशगी निक्षेप, बैंक गारंटी और उनकी जर्बत :-

(1) भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता निर्यातक पद्धति के मामले में एक निर्यातक के लिए जनवरी—अप्रैल 1983 के दौरान पोतलदान को गई माला के लिए किसी किस्म के पेशगी करने या बैंक गारंटी को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। उसके लिए 30 अप्रैल, 1983 के बाद रोक-

रखी गई निर्यात हकदारियों के जहाज पर निशुल्क मूल्य की 10 प्रतिशत तक की सीमा के लिए पेशगी निक्षेप/ बैंक गारंटी के साथ निष्पादित बाढ़ को प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसे पेशगी निक्षेप/ बैंक गारंटी को प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख 31 मई, 1983 होगी। यदि 30 अप्रैल, 1983 के बाद पोतलदान किए गए हों किन्तु पेशगी निक्षेप/ बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में पहले किए गए हों (जो 31 मई, 1983 में पहले होने चाहिए) तो उन्हें पेशगी निक्षेप/ बैंक गारंटी के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता नहीं होगी। 31 मई, 1983 तक जिस माला का न तो पोतलदान किया जाता है और न ही पेशगी निक्षेप/ बैंक गारंटी के अन्तर्गत लिया जाता है तो उसे अभ्यर्पित किया गया समझा जाएगा। निर्यातक अपनी हकदारी या उसके भाग की ऐसी अभ्यर्पित माला के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई पेशगी निक्षेप/ बैंक गारंटी का 90 प्रतिशत तक का निर्यात 30 सितम्बर, 1983 में पहले और भी अभ्यर्पण कर सकता है।

(2) पहले आए मा पहले पाए के आधार पर छोटे-छोटे आदेशों और केन्द्रीय / राज्य निगम प्रणाली के मामले में, निर्यातक को आवंटित माला के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत को दर में बैंक गारंटी द्वारा समर्थित पेशगी निक्षेप/ बैंक गारंटी बाढ़ देना अनिवार्य होगा।

(3) धीमी गति की मदों के लिए जो इस योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी अभिज्ञात कलाई गई हों, जैसा ऊपर बताया गया है तो पेशगी/ बैंक गारंटी के स्थान पर वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित नाममात्र की ही पेशगी निक्षेप करना पड़ेगा।

(4) एक निर्यातक जो उसको आवंटित निर्यात हकदारी का 90 प्रतिशत तक का निर्यात भूतकालीन निष्पादन या विनिर्माता निर्यातक प्रणाली के अन्तर्गत सारे वर्ष के भीतर, या आवंटन की अन्य प्रणालियों के अन्तर्गत विशिष्ट अवधि के भीतर नहीं करता है तो उसके पेशगी निक्षेप/ बैंक गारंटी को जम्त नहीं किया जाएगा। एक निर्यातक जो कम से कम 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत से कम का निर्यात करता है तो उसकी अनुपातिक जम्त की जाएगी। यदि निर्यात हकदारी आवंटन का उपयोग 75 प्रतिशत से कम है तो निर्यातक पूरे पेशगी निक्षेप/ बैंक गारंटी के जम्त के लिए देनदार होंगे। जहाँ कहीं आवश्यकता होगी यह अनिवार्य बाध्यता की शर्तों के अधीन होगी।

(5) केन्द्रीय / राज्य निगमों के उन मामलों में जहाँ उपयोग वैध अवधि के भीतर 75 प्रतिशत से कम है तो निर्यातक को निर्यात हकदारी वर्ष के भीतर आगे की आवंटन अवधि के लिए वृद्धि प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया जा सकता है। वृद्धि के लिए आवेदन पत्र सगत निर्यात हकदारी अवधि को समाप्ति के एक महीने के अन्दर-अन्दर भेज देने चाहिए। यह प्रावधान पहले आए मा पहले पाए के आधार पर छोटे-छोटे आदेशों की प्रणाली के अन्तर्गत धीमी गति वाली मदों के मामले में लागू होगा। ऐसे मामलों में,

निर्यातक को बेची हुई मात्रा के लिए सामान्य दर में दुगुने पेशगी निक्षेप/बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पड़ेगी। पूर्ण रूप से नियमित करने में असफल होने की स्थिति में पेशगी निक्षेप/बैंक गारंटी पूर्ण की पूरी जब्त कर ली जाएगी।

(6) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निर्यात हकदारों को आवंटित की गई है किन्तु जिन्होंने उसका उचित उपयोग नहीं किया है वे भविष्य में निर्यात हकदारी प्राप्त करने से वंचित रहेंगे। और इसके अलावा इस सम्बन्ध में उन पर अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

(7) पेशगी निक्षेप/बैंक गारंटी की जब्तों के खिलाफ अपील:—संबंधित निर्यात हकदारों का उपयोग न करने पर पेशगी निक्षेप/बैंक गारंटी की जब्तों के खिलाफ नियमितों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उचित रूप से विचार करने के लिए निम्नलिखित विधिविधि लागू होगी। निर्यात निर्यात करने वाले निर्यात द्वारा पेशगी निक्षेप/बैंक गारंटी जब्त किए जाने पर सम्बन्धित निर्यातक ऐसी जब्तों के खिलाफ वस्त्र आयुक्त को जब्तों से सम्बन्धित पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। उक्त आयुक्त प्रतिवेदन मिलने पर जिसका शीघ्र सम्बन्ध होगा, अपना निर्णय देगा। यदि किसी मामले में निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से असंतुष्ट रहता है तो वह निर्णय को बढ़ाते हुए पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर निर्णय के खिलाफ अपील कर सकता है। दूसरी अपील वस्त्र विभाग द्वारा रोक रखी जाएगी और उस पर सरकार द्वारा गठित अपील समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(8) पहला अक्टूबर, 1982 में उपलब्ध मात्रा का विलयन:—इस सांख्यिक सूचना और सांख्यिक सूचना सं० 37-ईटीसी (पीएन)/82 दिनांक 18 सितम्बर, 1982 में अन्यत्र दिए गए के बावजूद 1 अक्टूबर, 1982 को उपलब्ध बाकी बची हुई सारी मात्रा जो आवंटित स्तर पर है या अधिशेषित है उसका सामान्य प्ल में विलयन कर दिया जाएगा और वह पहले आए सो पहले जाए के आधार पर छोटे-छोटे आदेशों की प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के लिए किसी आदेशों के बिना आवंटित कर दी जाएगी।

(9) निर्यात हकदारी के आवंटन के लिए परीक्षण:—वस्त्र आयुक्त, संबंधित निर्यात हकदारी के आवंटन से सम्बन्धित मामलों पर दिन प्रतिदिन परीक्षण का कार्य जारी रखेंगे। वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति और सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर नीति के परिचालन की पुनरीक्षा करेंगे। उन मामलों में, जिन में मतभेद होगा, वस्त्र आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(10) पत्रों द्वारा निकासी:—(क) नियंत्रण के अधीन उत्पादों:—इस उद्देश्य के लिए मनोनीत परिधान निर्यात संवर्धन परिषद अथवा अन्य किसी उचित प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्यात हकदारी के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पर और व्यक्तिगत प्रेषण के लिए पोतलदान बिलों

की अनुलिपि प्रति पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा लदान के पत्रों पर प्रमाणन के स्थापन के बाद ही पोतलदान अनुमेष्य होगा।

(ख) हथकरघा पोशाक: जहां तक नियंत्रण की वस्तुहवा मदों सभी हथकरघा पोशाकों का कनाडा का और भूतों हथकरघा पोशाकों का आस्ट्रेलिया का निर्यात से सम्बन्ध है, समन्वय प्रवर्धन के भाग-2 में वस्त्र समिति द्वारा "निरिक्षण पूर्णकरण" के आधार पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान अनुमेष्य होगा। अमेरिका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों और फिनलैंड की हथकरघा पोशाकों के निर्यात के मामले में, वस्त्र समिति द्वारा यह स्थापन करने के पश्चात् माल का उद्गम हथकरघा के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों पोतलदान का अनुमेष्य होगा।

(ग) "भारतीय सदों" के अधीन आने वाली पोशाकें:— "भारतीय सदों" के सम्बन्ध में जो कि भारत की परम्परागत लोक जीवन से संबंधित हस्त-निर्मित वस्त्र उत्पाद हैं, उन्हें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों, अमेरिका, फिनलैंड, आस्ट्रेलिया और कनाडा की निर्यात के लिए सीमा शुल्क सदस्यों द्वारा पोतलदान की अनुमति विहाय आयुक्त (हथकरघा) अथवा वस्त्र समिति द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर ही होगी।

11(क) निर्यात प्रमाणपत्र उद्गम प्रमाणपत्र और बीसा:—संबंधित द्विपक्षीय परव समझौते के अधीन निम्नलिखित अपेक्षित प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद अथवा इस सम्बन्ध में एतद्द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य निकाय से जारी किए जाएंगे:

(1) यूरोपीय आर्थिक समुदाय

(क) नियंत्रण के अधीन सभी बुनी हुई पोशाक की मदों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र और उद्गम के प्रमाण पत्र,

(ख) सभी अनियंत्रित पोशाकों/बुनी हुई मदों के लिए उद्गम का प्रमाण-पत्र।

(2) फिनलैंड नियंत्रित मदों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र

(3) नियंत्रित अथवा अनियंत्रित की छोड़कर आस्ट्रेलिया शक्ति चालित सूत परव मिल से बुनी हुई पोशाकों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र।

(4) कनाडा सलाई से बुनी हुई शक्ति चालित और मिल मिश्रित उद्गम की पोशाकों के लिए निर्यात प्रमाण-पत्र किन्तु जो नियंत्रण के अधीन हैं उन्हें छोड़कर 500

14. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Maharashtra, Bombay.
15. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Manipur, Imphal.
16. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Meghalaya, Shillong.
17. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Nagaland, Kohima.
18. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Orissa, Bhubaneswar.
19. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Punjab, Chandigarh.
20. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Rajasthan, Jaipur.
21. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Sikkim, Gangtok.
22. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Tamil Nadu, Madras.
23. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Tripura, Agartala.
24. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
25. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of West Bengal, Calcutta.
26. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Pondicherry, Pondicherry.
27. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Mizoram, Aizawl.
28. Minister in charge of Handlooms & Handicrafts, Government of Arunachal Pradesh, Itanagar.
29. Secretary to the Government of India, Department of Textiles, Ministry of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi.
30. Financial Adviser, Government of India, Ministry of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi.
31. Adviser (Village & Small Scale Industries), Government of India, Planning Commission, Yojana Bhawan, New Delhi.
32. Secretary, Industries Department, Delhi Administration Kashmere Gate, New Delhi.
33. Development Commissioner (Small Scale Industries), Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi.
34. Managing Director, National Cooperative Development Corporation, 4-Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi.
35. Managing Director, National Bank for Agriculture and Rural Development, Post Box No. 6552, Dr. Anne Basant Road, Bombay-18.
36. Chairman, North Eastern Handicrafts & Handlooms Development Corporation, Bomfyle Road, Shillong.
37. Chairman, Khadi & Village Industries Commission, 3, Irla Road, Ville Parle, Bombay (West).
38. Managing Director, Handlooms & Handicrafts Export Corpn., Lok Nayak Bhavan, New Delhi.
39. Shri Ashok Chatterjee, Director National Institute of Design, Paldi, Ahmedabad.
40. Smt. Mrinalini Sarabhai, 'Chidambaram' Ahmedabad-380013.
41. Prof. K. G. Subramaniam, Viswa Bharati University, Shantiniketan, West Bengal-731235.
42. Dr. Kamala Chowdhary, Apartment-2 A, 33-Prithiviraj Road, New Delhi.
43. Shri Martand Singh, 'Gulmarg' Shahbag, Ahmedabad-380004.
44. Shri Ghulam Sheikh, Faculty of Fine Arts, University of Baroda, Baroda.
45. Shri Rajeev Sethi, C-4, Niti Bagh, New Delhi.
46. Shri Sankho Chowdhary, G-34, East of Kailash, New Delhi.
47. Smt. Lotika Varadarajan, 74, Sunder Nagar, Ground floor, New Delhi-2.
48. Shri Charles Correa, 9 Mathew Road Bombay.
49. Shri Har K. Wattal, Kailash Carpos, Dwipur House, Agra.
50. Dr. Jyotindra Jain, 1, Ambika Society, Usmanpura, Ahmedabad.
51. Smt. Prema Srinivasan, West side House No 2, Adayar Club Gate Road, Madras-600028.
52. Smt. Homi J. Talyarkhan, Raj Bhavan, Gangtok, Sikkim.
53. Shri M. P. Nachimuthu, President Chennimalai Weaver's Cooperative Society Ltd., Chennimalai, Tamil Nadu.
54. Shri P. Rajagopal Naidu, President, Tribuvanam Silk Handloom Weavers Cooperative Society Ltd., Tribuvanam, P.O. Thanjavur Distt. Tamil Nadu.

FMD/Bank Guarantee furnished by him for quantities so surrendered.

- (ii) In the case of ECFS Small Orders and Central/State Corporations Systems, an exporter shall be required to give earnest money deposit/performance bond backed by Bank Guarantees at the rate of 10 per cent of the F.O.B. value of the quantities applied for.
- (iii) For the slow-moving items identified as such under the provisions of this Scheme, nominal Earnest Money Deposits prescribed by the Textile Commissioner would be required in place of FMD/Bank Guarantees as mentioned above.
- (iv) An exporter, who exports not less than 90 per cent of the export entitlement allotted to him within the whole year under Past Performance or Manufacturer Exporter Systems, or in a particular period under other systems of allotment, will not be liable to forfeiture of EMD/Bank Guarantees. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 90 per cent will be liable to proportionate forfeiture. If the utilisation of export entitlement allocation is less than 75 per cent the exporter will be liable for forfeiture of his EMD/Bank Guarantee in full. This will be subject to conditions to force majeure, wherever these arise.
- (v) In the case of Central/State Corporations where the utilisation is not less than 75 per cent within the validity period, the exporter may be given the option to seek extension for the next allotment period within the export entitlement year. Applications for extension should be filed within one month of the end of the relevant export entitlement period. This provision will apply in the case of slow moving items under the ECFS Small Orders Systems. In such cases, the exporter will have to furnish EMD/Bank Guarantee at double the normal rate for the balance quantity. In case of his failure to export fully the FMD/Bank Guarantee will be liable to be forfeited in full.
- (vi) Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise them fully would render themselves liable to disqualification from getting export entitlements in future without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

7. Appeal Against Forfeiture of EMD/Bank Guarantees :— For the purpose of giving due consideration to representations made by exporters against forfeiture of EMD/Bank guarantees for non-utilisation of allotted export entitlements, the following procedure will apply. On forfeiture of EMD/Bank guarantees by the Apparels Export Promotion Council, the exporters concerned may appeal against such forfeiture to the Textile Commissioner, Bombay within fifteen days of receipt of the communication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall, upon receipt of the representation, give a ruling as early as possible. If, in any case, the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The second appeal will be with the Department of Textiles and will be dealt with by an Appellate Committee constituted by the Government.

8. Merger of Available Quantities from 1st October, 1983 :— Notwithstanding anything contained elsewhere in this Public Notice and Public Notice No. 37-ETC(PN)/82 dated the 18th September, 1982, all balances of quantities available as on 1st of October, 1983 from unallocated levels or surrenders shall stand merged into a common pool and shall be allocated under the ECFS Small Orders System without any reservation for different segments.

1104 GI/82—2

9. Supervision of Allocation of Export Entitlements :—The Textile Commissioner Bombay will continue to exercise day to day supervision over the matters relating to allocation of export entitlements. A Coordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and with the representatives of the concerned EPCs as members will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion the decision of the Textile Commissioner will be final.

10. Clearance by Customs :

A. Products under restraint :—Shipments will be allowed by Customs authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the Apparels Export Promotion Council or any other appropriate agency designated for this purpose.

B. Handloom garments :—In so far as exports of all handloom garments corresponding to restrained items to Canada and cotton handloom garments to Austria are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of "Inspection Endorsement" by the Textile Committee in Part-2 of the Combination Form. In the case of exports of handloom garments to USA, EEC and Finland, Customs will permit shipments after verification of certification by the Textiles Committee as to the handloom origin of the goods.

C. Garments falling under "India Items" :—In respect of "India Items" which are traditional folklore handicrafts textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to EEC, USA, Finland, Austria and Canada on the basis of appropriate Certificates issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) or the Textile Committee.

11. A Export Certificate, Certificate of Origin and Visa :— The following certification required under the relevant bilateral textile agreement will be issued by the Apparels Export Promotion Council or any other body duly authorised in this behalf :

- (i) EEC—(a) Export Certificates and Certificates of Origin for all garment/knitwear items under restraint ;
- (b) Certificates of origin for all non-restrained garment/knitwear items.
- (ii) FINLAND—Export Certificates for restrained items.
- (iii) AUSTRIA—Export Certificates for cotton powerloom/mill-made garments subject to restraint or surveillance.
- (iv) CANADA—Export Certificates for garments of knitted, powerloom and millmade origin which are subject to restraint except for consignments valued at Canadian \$ 500 or less.
- (v) U.S.A.—(a) VISA for all garment/knitwear consignments valued over US \$250.
- (b) Exempt Certification for consignments valued at US \$ 250 or less.

11.B. Handloom Certificate :—In the case of export of all handloom garments corresponding to restrained items to Canada and of cotton handloom garments to Austria, the Textile Committee will issue the certificates as prescribed in the bilateral Agreements for such products.

12. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

13. The address of the concerned Export Promotion Councils and of the offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows

1. The Apparels Export Promotion Council, Sahayog Building, 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi-110019

2. The Wool and Woollen Export Promotion Council, 612/714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

3. Office of the Textile Commissioner, Post Box No. 11500, Bombay-400020.

4. Textile Committee, 'Crystal' 79, Dr. Annie Besant Road, Bombay-400018.

5. Development Commissioner, (Handicrafts) West Block VII, R. K. Puram, New Delhi-110022.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller
of Imports & Exports